निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर॰ए॰एस॰ अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 3/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

गौरी शंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू, नरायना, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 08.05.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि गौरी शंकर मालू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 08.10.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

(अ) कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जयपुर के पत्र क्रमांक मु./सतर्कता/2021/756–757 दिनांक 31.08.2021 व पत्र क्रमांक/पीए/सतर्कता/2022/1446 दिनांक 22.11.2022 की नकलें/सूचना दिलावे तथा उक्त शिकायतों बाबत जिला स्तर को व मा0 मुख्यमंत्री महोदय के यहां अब तक भेजे गये जवाबों एवं शिकायत के अन्तिम निस्तारण बाबत भेजी गई रिपोर्टों की सूचना दिलावे यदि प्रकरण जाच में लम्बित है तो स्पष्ट सूचना दिलावे।

(ब) कार्यालय जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक सतर्कता/प.()24/3277 दिनांक 30.8.2024 की नकल/सूचना दिलावे व इस पत्र पर भेजी गई रिपोर्ट की सूचना दिलावे।

(स) कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांभरलेक जयपुर के पत्र क्रमांक सामान्य/2024/982 दिनांक 5.9.2024 व पत्र क्रमांक सामान्य/2024/986–987 दिनांक 5.9.2024 की नकल/सूचना दिलावे तथा इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक को अधिशाषी अधिकारी महोदय नगनपालिका नरायना से प्राप्त पत्रों सहायक अभियंता महोदय ज.वि.वि.एन.एल. दूदू से प्राप्त पत्रों तथा उक्त दोनों अधिकारियों को जारी पत्रों की सूचना दिलावे।

(द) कार्यालय जिला कलक्टर(सतर्कता) जयपुर के पत्र क्रमांक/सतर्कता/प.4()/24/3343 दिनांक 06.09.2024 की सूचना दिलावे व इस पत्र पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की नकल/सूचना दिलावे। यदि कोई रिपोर्ट नही भेजी गई है तो स्पष्ट सूचना दिलावे।

(य) कार्यालय उपजिला कलक्टरएवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांभरलेक जयपुर का पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1056 दिनांक 12.09.2024 की नकल/सूचना दिलावे तथा अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल नरायना, सहायक अभियन्ता ज.वी.वी.एन.एल. दूदू तथा गौरीशंकर मालू से प्राप्त पत्रों की सूचना दिलावे। इस प्रकरण मे पुलिस थाना नरायना द्वारा उपलब्ध करवाई गई पुलिस इमदाद की सूचना दिलावे तथा पुलिस थाना नरायना से

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

प्राप्त पत्रों की सूचना दिलावे तथा उक्त पत्र की पालना में पुलिस थाना नरायना द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना दिलावे।

(र) गौरी शंकर तालाब/सरोवर नरायना के भरे हुये पानी को बाहर निकालने बाबत जो प्रार्थना पत्र शिकायते प्राप्त हुईय उनकी सूचना मय संलग्नों की दिलावे।

(ल) गौरी शंकर तालाब/सरोवर नरायना में भरे हुये पानी को बाहर निकालने के लिये तहसीलदार महोदया फुलेरा उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक तथा जिला कलक्टर महोदय जयपुर ने कोई आदेश जारी किये गये है तो उनकी सूचना दिलावे एवं यदि कोई आदेश जारी नहीं किये गये है तो स्पष्ट आदेश दिलावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3 इस प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से दस्ती प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई/अ.प्र./2025/739 दिनांक 07.05.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./सूचना/2025/736 दिनांक 07.05.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। परन्तु चाही गई सूचना के अवलोकन से जाहिर है कि चाही गई सूचना प्रथम अपील पेश करने के बाद दी गई है। अतः अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों को अति महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक श्रेणी का समझा जावे तथा निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जावे। इस प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है तो तत्काल उपलब्ध करावें।आइन्दा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में ही सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4 निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।